न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ
RAS

अपील संख्या–66 / 17

चिरंजी लाल पुत्र गणपतराम, जाति भालादार (बलाई) निवासी वार्ड न. 43, सूर्य नगर, समर्थपुरा, सीकर, तहसील व जिला सीकर राज.

—अपीलार्थी

बनाम

1. कानाराम पुत्र जोरू उर्फ गोरू
2. सोहन लाल पुत्र जोरू उर्फ गोरू
3. भंवरी
4. मनी
5. मंगली
6. संतोष

पुत्रीयां जोरू उर्फ गोरू

7. श्रवण पुत्र गीता पुत्री जोरू उर्फ गोरू
8. अरविन्द पुत्र गीता पुत्री जोरू उर्फ गोरू
9. सांवरमल पुत्र गीता पुत्री जोरू उर्फ गोरू
10. बबीता पुत्री गीता पुत्री जोरू उर्फ गोरू
11. संजु पुत्री गीता पुत्री जोरू उर्फ गोरू
12. कमला पुत्री जोरू उर्फ गोरू
13. गुली पुत्री जोरू उर्फ गोरू
14. गुलाबी पत्नी माला
15. भंवर लाल
16. मदन लाल
17. महेन्द्र
18. जगदीश
19. सुभाष

पुत्रगण माला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

20. बेबी पुत्री माला
21. सरिता पुत्री माला
22. तीजू देवी पत्नी टोडा
23. गोपाल पुत्र टोडा
24. राजू पुत्र टोडा
25. सुरेश पुत्र टोडा
26. बजरंग पुत्र टोडा
27. बिमला पुत्री टोडा
28. सुमित्रा पुत्री टोडा

समस्त जाति माली, निवासीगण समर्थपुरा, पिपराली रोड़, सीकर

29. श्रीमती बागा उर्फ बोगा पुत्री नोपाराम
30. श्रीमती गीता देवी पुत्री नोपाराम
31. श्रीमती लच्छी उर्फ लक्ष्मी देवी पुत्री नोपाराम
32. बाबुलाल पुत्र नोपाराम
33. ओमप्रकाश पुत्र दुर्गा प्रसाद
34. मुरारी पुत्र नोपाराम (मृत)
35. श्रीमती प्रभाती पत्नी रिछपाल
36. राजु पुत्र रिछपाल
37. श्रीमती शारदा पुत्री रिछपाल
38. श्रीमती पुनम पुत्री रिछपाल
39. श्रीमती चन्दा पुत्री रिछपाल
40. श्रीमती परमेश्वरी पत्नी बिहारी लाल
41. सुरेश कुमार पुत्र बिहारी लाल
42. दीनदयाल उर्फ दिनेश कुमार पुत्र बिहारी लाल
43. श्रीमती बिमला देवी पुत्री बिहारी लाल

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
सीकर

44. श्रीमती द्रोपदी उर्फ मंजू पुत्री बिहारी लाल
45. श्रीमती अंजु देवी उर्फ अन्नु पुत्री बिहारी लाल
46. श्रीमती सुशीला पत्नी किशन लाल
47. विक्की उर्फ विक कुमार पुत्र किशन लाल
48. पंकज कुमार पुत्रकिशन लाल
49. सन्नू उर्फ सोनू पुत्री किशन लाल
50. नाथूलाल पुत्र कन्हैयालाल
51. रवि कुमार उर्फ कालू पुत्र कन्हैयालाल

समस्त जाति नायकान, निवासीगण समर्थपुरा, तहसील व जिला सीकर–राज0

52. श्रीमती सुगनी देवी पत्नी धन्नाराम
53. चिंरजी लाल पुत्र धन्नाराम
54. श्रीमती सुमित्रा पुत्री धन्नाराम
55. श्रीमती पुनम पुत्री धन्नाराम
56. जगदीश पुत्र हनुमान
57. लक्ष्मी पुत्री हनुमान
58. किस्तुरी पुत्री हनुमान
59. संतोष पुत्री हनुमान
60. श्रीमती प्रभाती पत्नी गोरूराम
61. रामेश्वर पुत्र गोरूराम
62. दीपाराम पुत्र गोरूराम
63. बीरबल पुत्र गोरूराम
64. बनवारी पुत्र गोरूराम
65. सजना पुत्री गोरूराम
66. श्रीमती मुली देवी पत्नी मूलाराम
67. बन्शी पुत्री मुलाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

68. मनोहर लाल पुत्र मूलाराम
69. श्रीमती परमेश्वरी पुत्री मुलाराम
70. श्रीमती रामादेवी पुत्री मुलाराम
71. श्रीमती केसरी पुत्री मुलाराम
72. श्रीमती मैना देवी पुत्री मुलाराम
73. श्रीमती शारदा देवी पुत्री मुलाराम
74. रूघाराम उर्फ रूघनाथ पुत्र नोला

समस्त जाति बलाई, निवासीगण पिपराली, तहसील व जिला सीकर

75. विद्याधर पुत्र श्री प्रेम सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम कुदन, तहसील धोद, जिला सीकर–राज0 हाल आबाद नवलगढ़ रोड़, सीकर, तहसील व जिला सीकर–राज0
76. तहसीलदार महोदय, सीकर, तहसील सीकर जिला सीकर–राज0

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील संख्या–67/17 विद्याधर बनाम कानाराम आदि
अपील संख्या–78/17 जोरू उर्फ गोरू आदि बनाम विद्याधर आदि

उपस्थित अधिवक्तागण:–
1– श्री सुरजभान सिंह (अपील संख्या–66/17)
2– श्री सुरजभान सिंह (अपील संख्या–67/17)
3– श्री महेश कुमार जांगिड़ (अपील संख्या–78/17)
4– श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां (रेस्पोडेन्ट संख्या–52 ता 74)
(प्रतिवादीगण संख्या–3 ता 6)
5– श्री नरेन्द्र कुमार पारीक (रेस्पोडेन्ट संख्या–29 ता 51)

निर्णय

दिनांक 4-4-19

यह अपीले अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 10/08/2017 दावा संख्या–5/16 (पुराना नम्बर–27/94) उनवानी जोरू आदि बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्याधर आदि के निर्णय व डिक्री के विरूद्व चिंरजी लाल ने जो इस वाद में पक्षकार नहीं था उसने इस न्यायालय की अनुमति से अपील संख्या–66/17 इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी विद्याधर ने अपील संख्या–67/17 प्रस्तुत की हैं व वादीगण जोरू आदि के वारिसान ने अपील संख्या–78/17 प्रस्तुत की हैं उपरोक्त तीनों अपीले एक ही वाद व एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत की हैं। जिनको दिनांक 16–05–2018 को अपील संख्या–66/17 के साथ अपील संख्या–67/17 व अपील संख्या–78/17 को समकेत (कन्सोलीडेट) की है इसलिए तीनों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील संख्या–78/17 के अपीलकर्तागण/वादीगण ने एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके कब्जे, काश्त की भूमि खसरा नम्बर–176 रकबा 1.38 हैक्टर बारानी तन समर्थपुरा (सीकर) अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर–44 है इस खसरा नम्बर में से 2 बीघा भूमि वादी संख्या–1 (मृत) जोरू उर्फ गोरू, 2 बीघा भूमि वादी संख्या–2 (मृत) माला एवं 2 बीघा भूमि वादी संख्या–3 (मृत) टोडा को अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा दिनांक 24/10/77 को आवंटित की गई थी अलोटमेन्ट के बाद नामान्तकरण भी वादीगण के पक्ष में भरे गये। परन्तु जमाबन्दी में अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन कब्जा काश्त सदैव से वादीगण का ही रहा है इसलिए जमाबन्दी में वादीगण को बतौर खातेदार, काश्तकार दर्ज किया जावे व वादीगण को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे इसी भूमि में से प्रतिवादी नोपाराम को भूमि अलोट की गई थी व 11 बीघा भूमि दिनांक 24/11/70 को अलोट की गई थी नोपाराम को दो प्लॉट एक साढ़े पांच बीघा जिसके खसरा नम्बर–175 हैं व दुसरा साढ़े पांच बीघा भूमि का अलोट किया गया था जिसका खसरा नम्बर–177, 178 हैं जिसमे कुआ व बिजली का पम्पींग सेट है खसरा नम्बर–175 पर भी नोपाराम ही काबिज है व आवासीय मकान बना रखे है। नोपाराम की भूमि का पुराना खसरा नम्बर–44/1 है जबकि मनमाने ढंग से खसरा नम्बर–44/5 कर दिया गया। इस प्रकार नोपाराम को अलोटशुदा भूमि के नये खसरा नम्बर–175, 177 व 178 है। लेकिन सहवन से खसरा नम्बर–176 जो वादीगण की भूमि थी उसकी खातेदारी प्रतिवादी नोपाराम के नाम कर दी गई। यह सब सेटलमेन्ट अधिकारीयों की गलती से हुआ है इसलिए खसरा नम्बर–176 का खातेदार नोपाराम के बजाय वादीगण को घोषित किया जावे व खसरा नम्बर–175 का नोपाराम को घोषित किया जावे। प्रतिवादी नोपाराम ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–3 ता 6 के पिता स्व. नोलाराम को दिनांक

उप-खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

07–02–78 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दी व नामान्तकरण नोलाराम के नाम हो गया जिसके खसरा नम्बर–177 व 178 हो गये।

प्रतिवादी संख्या–1 विद्याधर ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद उनवानी विद्याधर बनाम नोपाराम आदि बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया कि खसरा नम्बर–44/5 का हिस्सा 1/2 हिस्सा पर वह पूर्वजों के समय में काबिज है यह दावा दिनांक 19–10–81 को डिक्री हो गया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर–176 में से नोपाराम का नाम हजफ किया जाकर हिस्सा 1/2 की खातेदारी विद्याधर के नाम व शेष हिस्सा 1/2 की प्रतिवादीगण संख्या–3 ता 6 के पिता स्व. नोलाराम के नाम कर दी गई जिसका विधिवत् नामान्तकरण भरकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया गया हैं। उक्त राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रतिवादी विद्याधर खसरा नम्बर–176 पर काबिज होने पर आमादा हो गया व दिनांक 21–08–91 को सींव फोड़ दी वादीगण को प्रतिवादी विद्याधर व उसकी गैंग ने धमकी दी कि एतराज करोगे तो मार देंगे। अतः उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। प्रतिवादी विद्याधर ने न्यायालयों को धोखा देकर अनुसूचित जाति की भूमि हड़प ली है अतः वादीगण खसरा नम्बर–176 रकबा 1.38 हैक्टर का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 6 का नाम हजफ किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या–3 ता 6 के पिता नोलाराम का नाम भी खसरा नम्बर–176, 177, 178 से हटाया जावे।

प्रतिवादी संख्या–1 ने जबाबदाता मय काऊण्टर क्लेम पेश किया एवं कथन किया कि खसरा नम्बर–176 वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि नहीं होकर उत्तरदाता व चिंरजी लाल भालादार के शामलाती खातेदारी की भूमि है उक्त भूमि कभी भी वादीगण को अलोट नहीं हुई है न कभी कब्जे, काश्त रहा नोपाराम को जो भूमि अलोट हुई उसके खसरा नम्बर–175 व 178 है नोपाराम ने अपनी आवंटित भूमि खसरा नम्बर–44/5 में से हिस्सा 1/2 की भूमि एक टूकड़ा साढे पांच बीघा पुख्ता को दिनांक 07–02–78 को नोलाराम बलाई पुत्र रूड़ाराम बलाई निवासी पिपराली को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया। जिसके खसरा नम्बर–178 है व शेष भूमि के दुसरे टूकड़े यानि साढे पांच बीघा पुख्ता पर नोपाराम व उसके वारिसान आवासीय मकान बनाकर आबाद है जिसके खसरा नम्बर–175 है।

खसरा नम्बर–44/5 रकबा 11 बीघा में से साढे पांच बीघा भूमि उत्तरदाता विद्याधर को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर की डिक्री व निर्णय दिनांक 19–10–81 दावा संख्या–274/81 से प्राप्त हुई है जिस पर उसने आवासीय मकान व पशुओं का बाड़ा बनाकर आबाद चला आ रहा है व अपने खर्चे से कूप निर्मित कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
सीकर

विद्युत पम्पींग सेट लगा रखा है व उसी कुए का सौर ऊर्जा का कनेक्शन भी ले रखा है व कृषि प्रयोजनार्थ सहकारी बैंक सीकर से ऋण भी ले रखा है अपने काऊन्टर क्लेम में कब्जे के आधार पर वादीगण व राजस्थान सरकार जरिये तहसील सीकर के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही है। वाद में संशोधित जबाबदावा भी प्रस्तुत किया गया है।

अपीलकर्ता अपील संख्या–66/17 ने आदेश–1 नियम 10 जा. दि. के तहत वाद में पक्षकार बनने का आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने पर जबाबदावा मय काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है व कथन किया हैं कि वादीगण को जो भूमि आवंटित हुई है जिनमे से वादी गोरू उर्फ जोरू को जो अलाट हुई है उसके खसरा नम्बर–115 हैं जो इस भूमि से काफी दूर है व अन्य वादीगण को जो भूमि अलोट हुई है वह भी इसी खसरा नम्बर के पास है समस्त भूमियां वादीगण ने दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर दी है जिस पर क्रेतागण आबाद हो गये है। वादीगण का इस भूमि में कोई सरोकार नहीं है। खातेदार नोपाराम ने जो भूमि प्रतिवादीगण संख्या–3 ता 6 के पिता नोलाराम बलाई को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07–02–78 को बेचान की है व उपरोक्त नोलाराम ने अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत दिनांक 17–11–80 को अपने एक पुत्र गोरूराम पुत्र नोलाराम को कर दी है व उसके नाम नामान्तकरण होने के बाद उक्त गोरूराम ने जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र उससे क्रय की है व वर्तमान में खसरा नम्बर–176, 177, 178 के हिस्सा 1/2 पर काबिज व रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रतिवादी तहसीलदार ने दावा की सभी मदों को कानूनी बताते हुऐ दावा डिक्री करने का निवेदन किया हैं।

अन्य प्रतिवादी स्व. नोलाराम के पुत्रगण प्रतिवादीगण संख्या–3 ता 6 व उनके वारिसान ने कोई जबाबदावा पेश नहीं किया व न कोई दस्तावेज पेश किये है व स्व. नोपाराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या–2/1 ता 2/11 ने कोई जबाबदावा व दस्तावेजात् पेश नहीं किया है।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर मं भूमि खसरा नम्बर–44/5 के साढ़े पांच बीघा भूमि के बाबत जो दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर में उनवानी विद्याधर बनाम नोपाराम दावा संख्या–224/81 दिनांक 19–10–81 को डिक्री किया गया व उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या–158

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भरा गया उस नामान्तकरण व निर्णय व डिक्री को जिला कलेक्टर, सीकर ने राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स कर दिया और राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के जरिये उक्त रेफरेन्स स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्व प्रतिवादी विद्याधर ने माननीय राज. उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में एक रीट याचिका संख्या–362/01 उनवानी विद्याधर बनाम राज0 सरकार आदि प्रस्तुत की जो दिनांक 13–05–2001 को निर्णय की गई व रिट याचिका तो मंजूर की लेकिन साथ ही यह भी आदेश दिया कि क्योंकि सभी पक्षकारों ने भूमि के खसरा नम्बर, रकबा व कब्जे के बाबत कन्फ्यूजन (भ्रम) पैदा किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर मे विचाराधीन प्रस्तुत दावा को दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर कौनसे खसरा नम्बर पर कौन काबिज है इस बाबत समुचित निर्णय पारित करे।

उक्त रीट याचिका के निर्णय को अपीलकर्ता विद्याधर खण्डपीठ में स्पेशल अपील रीट संख्या–501/15 द्वारा चुनौती दी और खण्डपीठ ने रीट के निर्णय पर स्थगन आदेश दिनांक 06–04–2018 को जारी किया है जो यथावत हैं। अदालत मातहत ने उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार दावा की पत्रावली को पुनः संधारित कर पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर निम्न 11 तनकीयात कायम की गई है:–

1. आया वर्तमान खातेदारों ने खातेदारी अधिकार विधिवत् रूप से प्राप्त किए हैं। —बजिम्मे खातेदार
2. आया वर्तमान खातेदारों को मूल आवंटी की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार प्रदान किये गये है? —बजिम्मे खातेदारान
3. आया विवादित खसरा नम्बर का सर्वप्रथम अलाटमेंट किस को किया गया था? —बजिम्मे तहसीलदार, सीकर
4. आया वर्तमान खातेदार द्वारा अनुसूचित जाति की भूमि पर कब्जा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये गये है ? —बजिम्मे तहसीलदार, सीकर
5. आया यह भूमि मूल रूप से अनुसूचित जाति के कब्जे व खातदारी में थी। अब गैर अनुसूचित जाति के कब्जे में होने के कारण सिवाय चक घोषित होने योग्य है ? —बजिम्मे तहसीलदार, सीकर

<u>अतिरिक्त तनकीयात</u>

6. आया वादीगण खसरा नम्बर–176 रकबा 1.38 हैक्टर एवं अनुतोष के अनुसार 1.50 हैक्टर ग्राम समर्थपुरा की खातेदारी उद्घोषणा कराने के हक व अधिकारी है? —जिम्मे वादीगण
7. आया वादीगण–प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराने के हक व अधिकारी हैं? —जिम्मे वादीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8. आया प्रतिवादीगण–वादीगण को अपने खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराने के हक व अधिकारी हैं? —जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या–1 व 3 ता 6 (काऊन्टर क्लेमकर्ता)
9. आया वाद वादीगण कब्जे के अभाव में खारिज होने योग्य हैं? जिम्मे प्रतिवादीगण
10. आया विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–44/5 में से 1/2 हिस्से की प्राप्त खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 के अनुसार विधि विरूद्व होने से प्रारम्भ से ही प्रभावहीन एवं शुन्य होने से निरस्तनीय हैं।
—जिम्मे प्रतिवादी संख्या–7
11. आया विादित आराजी गत खसरा नम्बर–177 व 178 तन समर्थपुरा की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हक व अधिकारी है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या–2/1 ता 2/10 (स्व. नोपाराम के वारिस)

योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य लेकर व सभी उभय पक्षकारान की बहस सुनकर तनकी वाईज निम्न निर्णय पारित किया हैं।

तनकी संख्या–1

आया वर्तमान खातेदारों ने खातेदारी अधिकार विधिवत् रूप से प्राप्त किये है? बजिम्मे खातेदार

इस तनकी का योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नहीं किया हैं।

तनकी संख्या–2

आया वर्तमान खातेदारों को मूल आवन्टी की भूमि पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। बजिम्मे खातदोरान।

इस तनकी का निर्णय अस्पष्ट अवश्य है परान्तु फिर भी यह तनकी वर्तमान खातेदार अपीलकर्ता विद्याधर व चिंरजी लाल के पक्ष में प्रमाणित मानी है।

तनकी संख्या–3

आया विवादित खसरा नम्बर का सर्वप्रथम अलोटमेन्ट किसको किया गया था। बजिम्मे तहसीलदार सीकर

इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्व किया गया हैं।

तनकी संख्या–4

आया वर्तमान खातेदारान द्वारा अनुसूचित जाति की भूमि पर कब्जा कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हैं। बजिम्मे तहसीलदार

तनकी संख्या–5

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आया यह भूमि मूलरूप से अनुसूचित जाति के कब्जे व खातेदारी में थी अब गैरअनुसूचित जाति के कब्जे में होने के कारण सिवायचक होने के योग्य है।
बजिम्मे तहसीलदार, सीकर
इन दोनों तनकीयात का कोई स्पष्ट निर्णय नहीं किया है।

तनकी संख्या–6

आया वादीगण खसरा नम्बर–176 रकबा 1.38 हैक्टर एवं अनुतोष के अनुसार 1.50 हैक्टर ग्राम समर्थपुरा के खातेदारी की उद्घोषणा करवाने के हक व अधिकारी है जिम्मे वादीगण

इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्व किया गया है।

तनकी संख्या–7

आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाने के हक व अधिकारी है। बजिम्मे वादीगण
इस तनकीका निर्णय वादीगण के विरूद्व निर्णीत किया है।

तनकी संख्या–8

आया प्रतिवादीगण वादीगण को अपनी खातेदारी की भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाने के हक व अधिकारी है। जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या–1 व 3 ता 6
इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्व किया गया है।

तनकी संख्या–9

आया वाद वादीगण कब्जे के अभाव में खारीज होने योग्य है। बजिम्मे प्रतिवादीगण
इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया गया है।

तनकी संख्या–10

आया विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–44/5 में से 1/2 हिस्सा की प्राप्त खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 के अनुसार विधि विरूद्व होने से प्रारम्भ से ही प्रभावहीन व शुन्य होने से निरस्तनीय है।
जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या–7
इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी संख्या–7 के पक्ष में निर्णित किया है।

तनकी संख्या–11

आया विवादित आराजी गत खसरा नम्बर–177 व 178 तन समर्थपुरा की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हक व अधिकारी है।
जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या–2/1 ता 2/11
इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण संख्या–2/1 ता2/11 के पक्ष में निर्णित किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इन तनकीयात के निर्णय के अलावा अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने बिन्दु संख्या–1 कायम कर उस पर भी निर्णय पारित किया हैं जिसमें यह उल्लेख किया है कि खसरा नम्बर–176 व 177 पर वर्तमान में बिद्याधर सुण्डा का कब्जा काश्त है व खसरा नम्बर–178 पर चिंरजी लाल का क्बजा काश्त हैं व खसरा नम्बर–175 पर प्रतिवादीगण नोपाराम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या–2/1 ता 2/11 का कब्जा हैं। तत्पश्चात् खारीज किया जाता है प्रतिवादी संख्या–1 का काऊन्टर क्लेम भी खारीज किया जाता है खसरा नम्बर–176, 177, 178 की खातेदारी से चिंरजी लाल एवं प्रतिवादी संख्या–1 का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है उक्त खसरों पर नोपाराम व नोलाराम के विधिक वारिसान 1/2, 1/2 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता हैं तहसीलदार, सीकर को आदेश दिया जाता हैं कि खसरा नम्बर–176, 177 व 178 के वर्तमान में खातेदारों को बेदखल कर नोपाराम व नोलाराम के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज कर इनको विधिवत् रूप से कब्जा दिलाकर आदेश की पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा मे एक माह में प्रस्तुत करे।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट विधाधर की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता श्री महेश जांगिड़ ने माननीय राजस्व मण्डल में मुन्तिकिली आवेदन प्रस्तुत करने का कथन किया इस पर न्यायहित में कई बार अवसर दिये गये। इसके उपरान्त भी समक्ष न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नही किया गया अत गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

सर्वप्रथम इस प्रकरण में अपील संख्या–66/17 चिंरजीलाल बनाम कानाराम आदि पर धारा–96 जा. दि. पर बहस सुनी गई अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता न्यायालय में पक्षकार नहीं था लेकिन उसकी खातेदारी समाप्त की गई है व बेदखल करने का आदेश पारित किया है इस निर्णय से उसके हित प्रभवित होते है रेस्पो. संख्या–1 लगायत 73 के अधिवक्तागण ने विरोध किया व अपील की इजाजत नहीं देने का निवेदन किया। मूल रूप से प्रश्नगत भूमि नोपाराम पुत्र श्योचन्द नायक को अलाट होकर खातेदारी मिली है और उसने दिनांक 07–02–78 को अपना 1/2 हिस्सा की भूमि नोलाराम बलाई को जरिये रिजस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की है नोलाराम बलाई ने अपने पुत्र गोरूराम को उक्त भूमि बाबत वसीयत दिनांक 17–11–80 को कर दी जिसके आधार पर उसे नाम खातेदारी दर्ज हो गई। उक्त गोरूराम ने अपीलकर्ता चिंरजी लाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06–10–2000 को विक्रय कर दी जिसके आधार पर उसे खातेदारी दर्ज हुई। जिस पर आज अपीलकर्ता काबिज हैं। उपरोक्त तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। ऐसी परिस्थिति में चिंरजी लाल के नाम जो खातेदारी प्राप्त हुई है उसमे विधि के किसी प्रावधानों का उल्लघंन नहीं हुआ है क्योंकि

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दोनों ही पक्ष अनुसूचित जाति के हैं। इसलिए अपीलकर्ता चिंरजी लाल निश्चित रूप से प्रभावित व्यक्ति हैं अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में आर बी जे 313 (आर बी) जगदीश बनाम तोता पेश की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही है वह उस निर्णय से प्रभावित है तो वह न्यायालय की इजाजत से वह अपील पेश कर सकता है। उन्होनें दुसरी नजीर ए आई आर 1974 सुप्रीम कोर्ट 994 प्रस्तुत की। जिसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

अधिवक्ता अपीलकर्ता के तर्को से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। इसलिए अपीलकर्ता को धारा–96 जा. दि. के तहत अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाती है।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलकर्ता विधिवत् रूप से रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार है यह भी स्वीकृत रूप से सत्य हैं कि उसकी (अपीलकर्ता) की खातेदारी को वादीगण रेस्पो. व अन्य किसी पक्षकार ने चुनौती नहीं दी है रेस्पो. मदन लाल वादी संख्या–2/3 (पी.डब्ल्यू–2) ने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मैंने चिंरजीलाल के खिलाफ कोई दावा पेश नहीं किया है उसमें मेरा कोई झगड़ा नहीं है। चिंरजी लाल की जमीन से हमारा कोई संबंध व सरोकार नहीं है। रेस्पो. सोहन लाल पी. डब्ल्यू–3 ने भी जिरह मे कहा है कि चिंरजी लाल से मेरा कोई विवाद नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट वादीगण का वाद खारीज किया है व किसी भी पक्षकार ने चिंरजी लाल की खातेदारी को चुनौती नहीं दी है न ही बेदखली चाही है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलकर्ता चिंरजी लाल की खातेदारी समाप्त कर दी व बेदखली का आदेश पारिज कर दिया जो मेरी राय में कतई विधि सम्मत नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नोलाराम बलाई द्वारा अपने पुत्र गोरूराम के पक्ष में की गई वसीयत एवं गोयराम द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06–10–2000 को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई है उन सब का अन्तिम निर्णय अपीलकर्ता चिंरजी लाल के पक्ष में होना पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात् व मौखिक साक्ष्य में भली भांति प्रमाणित है। इसलिए अपीलकर्ता चिंरजी लाल के विरूद्व पारित निर्णय व डिक्री कतई विधि सम्मत नहीं है।

<u>अब अपीलकर्ता अपील संख्या–67/2017 पर आते है।</u>

अपीलकर्ता विद्याधर का मुख्य तर्क है कि अधीनसथ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट निर्णय पारित करना चाहिए था आदेश–14 नियम 2 जा. दि. में स्पष्ट प्रावधान हैं कि न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट निर्णय पारित करना चाहिए जो अधीनस्थ न्यायालय ने पारित नहीं किया हैं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि उन्होंनें आदेश 14 नियम 3 जा. दि. के तहत एक आवेदन देकर निवेदन किया कि रेस्पो. चिरंजी लाल रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार है उसको पक्षकार बनाये बगैर यह दावा चलने योग्य नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता का यह आवेदन खारिज कर दिया बहस के दौरान उनकी आपत्ति पर कोई गौर नहीं किया गया निश्चित रूप से दोनों ही बिन्दु विधिक रूप में विधि मान्य है क्योंकि रेस्पोडेन्ट वादीगण का वाद खारीज किया गया है इसलिए उनका यह तर्क महत्त्वहीन हो जाता है।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादीगण के पक्ष में बिना जबाबदावा के बिना सहायता चाहे बिना काऊन्टर क्लेम के उनको खातेदारी अधिकार दे दिये व अपीलकर्ता को बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो विधि मान्य नहीं है।

उन्होंनें अपने तर्को के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 2018 (11) एस.सी.सी.. 652 शिवाजी बलराम बनाम अविनाश प्रस्तुत किया है। उक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय अभिवचनों के विरूद्व कोई तनकी कायम नहीं कर सकता और नहीं तनकीयात के अभाव मे निर्णय पारित कर सकता। केवल मात्र तनकीयात पर ही निर्णय देना चाहिए। ए आई आर 1977 सुप्रीम कोर्ट 890 एवं आर एल आर 1987 (2) 747 में भी यही मत व्यक्त किये गये है। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के तर्को का विरोध किया और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को सही बताया स्वीकृत रूप से प्रतिवादीगण संख्या–2/1 लगायत 2/11 रेस्पो. संख्या–29 लगायत 51 व प्रतिवादीगण संख्या–3 ता 6 के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या–52 ता 73 की ओर से कोई जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया है न कोई काऊन्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण संख्या–2/1 लगायत 2/11 (रेस्पोडेन्ट संख्या–29 ता 51 व प्रतिवादीगण संख्या–3 ता 6 के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या–52 ता 73) के पक्ष में बिना मांगे खातेदारी अधिकार दिये है व अपीलकर्ता को बेदखली के आदेश दिये है निश्चित रूप से यदि इस आशय का जबाबदावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत करते व काऊन्टर क्लेम के जरिये ऐसी सहायता की मांग करते उस परिस्थिति में इस विषय की तनकीयात कायम होती और उस पर साक्ष्य प्रस्तुत हो, पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नही है। मैं अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय से पूर्णतया सहमत हूँ।

अपीलकर्ता का दुसरा तर्क है कि अपीलकर्ता को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा दावा संख्या–274/81 निर्णय दिनांक 19–10–1981 से खातदारी प्राप्त हुई है वह खातेदारी रेफरेन्स के जरिये विवादित अवश्य हैं। लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपीलकर्ता के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर रखा है इसलिए अपीलकर्ता के विरूद्व जो निर्णय है वह अन्तिम नही है। विचाराधीन है जिनको अपीलकर्ता के विरूद्व पढ़ा नही जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता का अपने निर्णय में विवादित भूमि पर कब्जा माना है जिस निर्णय से खातेदारी मिली उसमें राज्य सरकार पक्षकार थी इसलिए अपीलकर्ता का कब्जा अगर अवैध भी हो तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–183(बी) में अनुसूचित जाति की भूमि में बेदखली का प्रावधान है। उसकी मियाद वाद कारण उत्पन्न होने से 12 वर्ष है तथा इसी अधिनियम की धारा–175 में सरकार के लिए मियाद 30 वर्ष है यहां अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में बिना मांगे कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया है जिसमें समयावधि 12 वर्ष हैं। यदि राज्य सरकार के पक्ष में भी बेदखली हो और खातेदारी व कब्जा वैध हो और अनूसूचित जाति की भूमि पर हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय **ए. आई. आर 2014 सुप्रीम कोर्ट 3070 रामकरण बनाम राजस्थान राज्य** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा–42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के उल्लघंन की स्थिति में यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने कब्जे की प्रार्थना नहीं की है तो राज्य सरकार को भी 30 वर्ष के पश्चात् बेदखली का आवेदन लाने का अधिकार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में न तो मूल आवंटियों व उनके वारिसान ने और न ही तहसीलदार ने अपीलकर्ता के विरूद्व बेदखली का आवेदन प्रस्तुत किया है। ऐसी सूरत में अपीलकर्ता का कब्जा दिनांक 19–10–81 के पूर्व का है। जिसकी अवधि वर्तमान में 37 वर्ष हो चुकी हैं इसलिए बिना बेदखली के आवेदन के मियाद बाहर रूप में जो बेदखली का निर्णय व डिक्री पारित की है वह पूर्णतया अवैध है। वकील अपीलकर्ता ने एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त **रामगौड़ा बनाम एस. वरघप्पा नायडू 2004 डी.एन.जे.सुप्रीम कोर्ट 263** प्रस्तुत की है। वकील अपीलकर्ता ने यह बहस की है कि उसने काऊन्टर क्लेम के माध्यम से निषेधाज्ञा चाही है जिसका किसी भी पक्षकार ने खण्डन नहीं किया हैं। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के जरिये सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि निर्विवाद कब्जे का स्वामित्व के अभाव में भी संरक्षण दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता आज के दिन खातेदार है। भले ही उसकी खातेदारी विवादित हो। कब्जा पूर्णतया स्थापित हैं इसलिए स्थापित कब्जे को न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। वकील रेस्पो. ने इन तर्को का विरोध किया कि अपीलकर्ता के विरूद्व निर्णय हो चुके हैं व धारा–42 राज. काश्तकारी अधिनियम में कोई मियाद नहीं है।

लेकिन उन्होने इस विषय में कोई न्यायिक दृष्टान्त व विधिक प्रावधान प्रस्तुत नही किये है। अधिवक्ता अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में उन पर चश्पा होती है।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि मूल आवंटी नोपाराम को जो भूमि आवंटन हुई वह खसरा नम्बर–175 व 178 समर्थपुरा थी खसरा नम्बर–178 को उसने विक्रय कर दी जो चिंरजी लाल के खातेदारी व कब्जे में हैं व खसरा नम्बर–175 मूल आवंटी के वारिसान के कब्जे में है। जिस पर वे आवासीय मकान बनाकर आबाद है व कुछ भूमि को विक्रय कर दिया। मूल आवंटी नोपाराम के वादी रेस्पो. संख्या–47 विक्की (पी.डब्ल्यू–10) ने अपनी साक्ष्य के दौरान जिरह में स्वीकार किया है कि यह सही है कि मेरे दादा (नोपाराम) को जो जमीन अलोटमेंट हुई उसके खसरा नम्बर–178 व 175 है। खसरा नम्बर–178 मेरे दादा ने विक्रय कर दी। जिस पर चिंरजी लाल काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि खसरा नम्बर–175 पर नोपाराम के वारिसान का कब्जा है। ऐसी सूरत में खसरा नम्बर–176 नोपाराम को आवंटित ही नहीं हुई। खसरा नम्बर–175 की जगह 176 त्रूटिवश भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा लिख दिया गया। जिसकी जमीन आवंटित हुई उसमें से आधी जमीन विक्रय कर दी व आधी जमीन पर उसके (नोपाराम) के वारिसान के कब्जे में है। आवंटन से ज्यादा जमीन मांगने पर भी न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मांगे ही आवंटन से अधिक भूमि रेस्पो. को दिलवाई है जो विधि विरूद्व है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क दस्तावेजों के अवलोकन से भी प्रमाणित होता है। जिसमें मैं पूर्णतया सहमत हूँ।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या–26 मुरारी लाल पुत्र नोपाराम नायक का दावा के दौरान देहान्त हो गया जिसके कायम मुकामान को निर्धारित अवधि में वादीगण ने आवेदन प्रस्तुत कर नहीं बनाये हैं। जिसके संबंध में अपीलकर्ता की ओर से विधिवत् आपत्ति प्रस्तुत की गई है लेकिन अदालत मातहत ने आपत्ति पर कोई मत व्यक्त कर निर्णय नहीं दिया जबकि निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के पक्ष में पारित की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **1998 (5) एस.सी.सी. पेज 556, 1979 (3) एस.सी.सी. 578, आर आर टी(2) 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 1047** में यह मत व्यक्त किया है कि मृत व्यक्ति के वारिसान को 90 दिन की अवधि में अगर आवेदन प्रस्तुत कर रिकार्ड पर नहीं लिया जाता है तो उसके पक्ष व विपक्ष में निर्णय बिना क्षेत्राधिकार व नलीटी हैं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि अदालत मातहत ने प्रतिवादीगण संख्या–3, 4 और 5 के वारिसान को बिना समयावधि में रिकार्ड पर लिये ही निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जो निर्णय के शीर्षक में अवलोकन मात्र से ही दृष्टिगत होती हैं।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता का यह भी तर्क हैं कि रेफरेन्स के जरिये किसी की भी खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती। हस्तगत प्रकरण में रेफरेन्स के निर्णय की अपील विचाराधीन है और उस पर स्थगन है ऐसी सूरत में रेफरेन्स के निर्णय को इस स्टेज पर कोई मान्यता नही देनी चाहिए थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसे अन्तिम निर्णय मानकर अपीलकर्ता की खातेदारी समाप्त कर दी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय **2016 (1) आर आर टी 130 राज्य सरकार बनाम प्रभाती** के निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि रेफरेन्स के माध्यम से खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती। खातेदारी केवल वाद पेश करके अनुतोष की मांग करने पर दी जा सकती हैं प्रस्तुत प्रकरण में न तो रेफरेन्स का अन्तिम निर्णय पेश हुआ है व न वाद पेश हुआ है जिससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ।

उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–4 व 10 का निर्णय रेस्पो. प्रतिवादी तहसीलदार के पक्ष में व तनकी संख्या–8 का निर्णय अपीलकर्त के विरूद्व व तनकी संख्या–11 का निर्णय रेस्पो. प्रतिवादीगण संख्या–2/1, ता 2/11 के पक्ष में जो निर्णय पारित किया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ और अपीलकर्ता की खातेदारी हजफ करने का व बेदखली का जो निर्णय पारित किया है उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ।

अपील संख्या–78/17 जोरू आदि बनाम विद्याधर आदि

उपरोक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र वादीगण ने प्रस्तुत किया है मूल वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने खारीज किया है।

सर्वप्रथम यह देखना है कि वादीगण को भूमि आवंटित हुई या नहीं और यदि हुई तो कौनसी भूमि आवंटित हुई यदि आवंटन व खातेदारी वादीगण की साबित हो जाती है तो फिर कब्जे का प्रश्न देखने की आवश्यकता होती है। वादीगण ने भू–आवंटन के नियमों के तहत न तो कोई आवंटन आदेश पारित किया है न सनद पेश की हैं न पट्टा पेश किया, न नक्शा ट्रेस पेश किया और न ही पटवारी द्वारा उन्हें कब्जा देने की रिपोर्ट पेश की, नही लगान की रसीद पेशकी और न आवंटन शुल्क की रसीदपेश की है। केवल मात्र आवंटन सलाहकार समिति की मिन्ट्सबुक प्रदर्श 4 पेश की है वादीगण के तीनों पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2 व पी.डब्ल्यू–3 तीनों ने जिरह में स्वीकार किया हैं कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन सलाहकार समिति की मिन्टसबुक की प्रमाणित प्रतिलिपि के अलावा उनके पास अन्य दस्तावेज नही है और इसे ही वे आवंटन आदेश मानते हैं। प्रथम तो उनका आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की मिन्टस बुक केवल अनुशंषा मात्र है और यह भी लोक दस्तावेज नहीं है इसलिए मिन्टस बुक के लेखक को साक्ष्य में प्रस्तुत करने पर ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य हो सकता है।

ए आई आर 2005 एन ओ. सी. 441 कलकत्ता में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि ऐसे दस्तावेज के लेखक को साक्ष्य में आये बगैर यह दसतावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है वादीगण के पास अन्य कोई दस्तावेज नहीं है माननीय राज. उच्च न्यायालय ने आर आर टी 2016 (2) 1126, 2010 आर आर टी (1) 636 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि आवंटन आदेश, पट्टा प्रस्तुत नहीं किया है व कब्जे बाबत घटना बही के बिना खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते। वादीगण ने वाद की सुनवाई के दौरान एक आवेदन प्रदर्श ए–9 प्रस्तुत किया है। उस आवेदन में उन्होनें लिखा है कि उनके पूर्वजों को भूमि आवंटन हुई। उसका पता नहीं चल रहा है कि वह कहा है। इसलिए उसकी भौतिक स्थिति का पता लगाने के लिए आवंटित भूमि की भौतिक स्थिति लोकेट करवाई जावे और इस आवेदन का जिक्र उन्होने गवाहान पी.डब्ल्यू–1, पी. डब्ल्यू–2 व पी.डब्ल्यू–3 के शपथ पत्रों में भी किया है जिससे यह पता चलता है कि उन्हें भूमि की वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं है। साथ ही उन्होनें अपनी जिरह में भी भूमि की भौतिक स्थिति व मकानों की स्थिति के संबंध में व सिंचाई के स्त्रोत के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है उन्होनें जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर–176 की खातेदारी में 1/2 हिस्सा पर चिंरजी लाल का नाम दर्ज है व चिंरजी लाल से हमारा कोई विवाद नहीं है और चिंरजी लाल से हमे कब्जा भी नहीं लेना है। इससे उनकी यह स्वीकारोक्ति जाहिर होती है कि खसरा नम्बर–176 के 1/2 भाग के बाबत ही उनका विवाद है सम्पूर्ण का विवाद ही नही है। साथ ही प्रतिवादी संख्या–1 ने साक्ष्य में यह साबित किया है कि वह खसरा नम्बर–176 की सिंचाई के लिए खसरा नम्बर–177 में बने कुए में विद्युत कनेक्शन व सौलर पम्प सेट से दोनों से करता आ रहा है व खसरा नम्बर–176 में उसके पुख्ता मकान व उसकी लड़की सुमन के भी मकान हैं जिसमें घरेलू विद्युत कनेक्शन ले रखा हैं जिनको साक्ष्य से साबित किया हैं। इस बिन्दु पर उन्होनें कोई जिरह भी नही की हैं जिससे खसरा नम्बर–176 पर वादीगण का कब्जा साबित नही मानकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय साक्ष्य का सही मूल्यांकन किया है व इसमें यह भी महत्त्वपूर्ण है कि तीनों ही मूल वादीगण के नाम से खातेदार होने की जमाबन्दी नहीं बनी हैं तथा मूल वादी संख्या–1 जोरू उर्फ गोरू को 2 बीघा भूमि आवंटन हुई है उसका नया खसरा नम्बर–115 बना है जिसकी खातेदारी आज भी उसी

पीठासीन अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के वारिसान के नाम चली आ रही है जो प्रदर्श ए–2 है, खसरा नम्बर–115 का खसरा नम्बर–176, 177 व 178 से कोई संबंध नहीं हो सकता है यदि वादीगण संख्या–2 व 3 को जमीन आवंटित होती तो वह वर्तमान में खसरा नम्बर–115 के आस पास ही होती। खसरा नम्बर–115 के बारे में वादी संख्या–1 गोरू के वारिस सोहन पी.डब्ल्यू–3 ने अनभिज्ञता जाहीर की है इस प्रकार वादीगण न तो अपना आवंटन साबित कर पाये है और न ही खसरा नम्बर–176 पर अपना कब्जा साबित कर पाये है। इसलिए वादीगण का कब्जा व आवंटन दोनों ही के अभाव में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारीज किया है वह सही खारीज किया है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिस भूमि का आवंटन नोपाराम नायक का हुआ उसमें से 1/2 भूमि उसमें नोलाराम बलाई को दिनाक 07–02–78 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी व उसने अपने पुत्र को वसीयत कर दी व गोरूराम बलाई ने चिंरजी लाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दी व शेष 1/2 भाग की भूमि की खातेदारी जब प्रतिवादी संख्या–1 विद्याधर सुण्डा ने प्राप्त कर ली तो वादीगण ने यह कथन करके कलेक्टर सकर के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जाति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने प्राप्त कर धारा–42 आर.टी.ए. का उल्लंघन किया है और वर्तमान वाद पत्र में उसी भूमि को वादीगण जो भी स्वयं भी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है अपने नाम खातेदारी प्राप्त करना चाहते है जबकि वादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद खारीज करके कोई त्रूटि नहीं की है। साथ ही **डी एन जे 2017 सुप्रीम कोर्ट 145, 1989 आर आर डी 528, 2012 आर आर टी (2) 1170, 1993 आर आर डी 504** में भी यह विविध न्यायालयों ने यह मत व्यक्त किया है कि कब्जे के अभाव में खातेदारी नही दी जा सकती। इसलिए कब्जे के अभाव में वादीगण का दावा खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रूटि नहीं की है।

अपीलकर्तागण के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह भी है कि नोपाराम ने नोलाराम बलाई के पक्ष में दिनांक 07–02–78 को विक्रय पत्र पंजीबद्व करवाया है। उसमें प्रतिवादी विद्याधर सुण्डा साक्ष्य है और उसमें जो सीमाएं बताई है उनके अनुसार इस भूमि पर कब्जा वादीगण का साबित होता हैं और प्रतिवादी विद्याधर सुण्डा धारा–115 साक्ष्य अधिनियम के तहत इस कथन से प्रतिबन्धित हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस संबंध में **ए.आई.आर. 2012 राज. 74** में यह मत व्यक्त किया है कि ऐसे दस्तावेज का साक्षी केवल विक्रेता की पहचान के बाबत ही होता है। दस्तावेज के तथ्यों का वह साक्षी नहीं है इसलिए इस तर्क से अपीलकर्तागण को कोई बल नहीं मिलता है इस प्रकरण में जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है। 1/2 भाग की भूमि का चिंरजी लाल खातेदार, काश्तकार है और उसे पक्षकार नही बनाया गया है जबकि

Lanio
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदारी सम्पूर्ण खसरा नम्बर की चाही है। चिंरजी लाल को पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में भी दावा सही रूप से खारीज किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या–66/17 उनवानी चिंरजी लाल बनाम कानाराम आदि स्वीकार की जाती हैं

अपील संख्या–67/17 विद्याधर बनाम कानाराम आदि स्वीकार की जाती है अपीलकर्ता विद्याधर का काऊन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता हैं।

अपील संख्या–78/17 जोरू उर्फ गोरू आदि बनाम विद्याधर खारिज की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 4-4-19 .....को सरे इजलास सुनाया गया।

4.4.19
(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर